न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–159/2004 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हट्या पुत्र कालूराम जाति माली निवासी सकट – मृतक
   1/1. जगन्नाथ पुत्र हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/2. राधाकिशन पुत्र हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/3. हजारी लाल पुत्र हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/4. हरबाई पुत्री हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/5. सनजी पुत्री हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/6. कोयम पुत्री हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/7. भागोती पुत्र हट्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
2. रघुनाथ पुत्र कालूराम जाति माली निवासी सकट
   2/1. गोविन्द पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
   2/2. गंगाराम पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी सकट – मृतक
   2/3. रामप्रताप पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
   2/4. किशन पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
   2/5. मु0 रूकमा पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
   2/6. मु. तीजा पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
   2/7. मु0 बुधी पुत्री रघुनाथ जाति माली निवासी सकट ।
3. हीरालाल पुत्र लल्लू जाति माली निवासीसकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0

..... अपीलांटान/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार ।
2. लाला पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट ।
3. कन्हैया पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट ।
4. मांगीलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
5. रामसहाय पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ – मृतक जरिये वारिसान
   5/1. केशन बेवा रामसहाय जाति माल निवासी सकट तहसील राजगढ ।
   5/2. भगवान सहाय पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी सकट ।
   5/3. सोहनलाल पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
6. सुखलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।

7. नहनूराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
8. नानगी बेवा नारायण जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
9. रामचन्द्र जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ जरिये वारिसान –
   9/1. मु0 बिरजी बेवा रामचन्द्र जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   9/2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   9/3. मु0 तीजा पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   9/4. मु0 सन्तो पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
10. रामधन पुत्र काल्या जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ मृतक जरिये वारिसान –
   10/1. जगन पुत्र रामधन जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   10/2. मूस्या राम पुत्र रामधन जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   10/3. मु0 छाजी पुत्री रामधन जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
   10/4. मु0 लड्डो पुत्री रामधन जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ ।
11. ग्यारसा पुत्र काल्या जाति माली निवासी सकट ।
12. छीतर पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सकट ।
13. मिट्ठूराम पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सकट ।
14. दुर्गा पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सकट ।
15. मु0 गोमा पुत्री भौरेलाल जाति माली निवासी सकट ।
16. मु0 गंगादेवी पुत्री भौरेलाल जाति माली निवासी सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0/प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 446 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 371 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके नारायणपुर को हाल बन्दोबस्त में गोचर दर्ज कर दी व उक्त आराजी पर वादी सम्वत् 2011 से काबिज है और खातेदार है और काश्त करते चले आ रहे हैं । बन्दोबस्त विभाग ने गलत गोचर दर्ज किया है तथा दावा वादी डिक्री कर खातेदार घोषित करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस

सुनकर दिनांक 13.07.2004 को दावा वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 13.07.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलांट/वादीगण ने एक वाद इस्तकरारहक का तहत न्यायालय में आराजी ख0 नं0 446 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं 371 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके नारायणपुर जिसके साबिक ख0 नं0 320 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा व 322 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थे जिस आराजी पर सम्वत् 2011 से ही वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज थे । तहत न्यायालय में अपीलांट का कथन था कि बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में इस आराजी को खिलाफ मौका गोचर दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी कभी भी गोचर के काम नहीं आयी तथा जो वर्तमान में भी गोचर के काम ना आकर उसकी किस्म भी गोचर नहीं है जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हुई तथा जब पटवारी हल्का मौके पर आया तब जानकारी हुई । अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद नारायण बनाम सरकार ग्राम पंचायत के विरूद्ध लम्बित था उसके साथ वर्तमान वाद की पत्रावली को समेकित कर दिया गया एवं दोनों वादों का निर्णय एक साथ तहत न्यायालय ने पारित किया है जिसमें दो तनकीयात कायम की तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद की तनकी सं0 1 को केवल इस आधार पर वादीगण के खिलाफ तय किया गया कि आराजी ख0 नं0 371 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के जो साबिक खसरा नम्बरान जो थे उन सभी खसरा नम्बरान की किस्म बंजड़ कदीम व गैर मुमकीन नला दर्ज थी तथा तहत न्यायालय द्वारा यह राय कायम की गई कि किसी भी कॉलम में काश्त का अंकन नहीं है । तहत न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि उक्त आराजी चालू आराजी है जिस पर अपीलांट का कलटीवेटरी पजेशन था । बन्दोबस्त विभाग को सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन का कोई हक व अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट ने जो मौखिक साक्ष्य पेश की उसका कतई तौर पर परिसीलन नहीं किया केवल में यह अंकित किया कि केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर पक्षकारान को खातेदारी नहीं दी जा सकती है ।

बहस जारी रखते हुए अपीलांट ने आगे कहा कि वादीगण/अपीलांट ने उक्त आराजी की पैनल्टी भी कटवाई गयी एवं समय–समय पर तहसीलदार द्वारा नोटिस भी इस क्रम में जारी किये गये परन्तु उक्त दस्तावेज अपीलांट को ना मिलने के कारण प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे जिन्हें अब प्रस्तुत किया जावेगा । विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलांट अब भी काबिज हैं तथा फसल मौके पर उगी हुई है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी में अपीलांट का न तो एडवर्श पजेशन है और न ही रेकार्ड में कब्जा है । विवादित आराजी से

अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । तहत न्यायालय ने इनका दावा सही खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2004 का अवलोकन किया ।

बहस पर मनन करते हुए कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया । तहत अदालत द्वारा तनकी सं0 1 में पारित निर्णय का गहनता से अवलोकन किया गया । विवादित आराजी गैर मुमकिन नला व गौचर भूमि के रूप में रेकार्ड में दर्ज है तथा रेकार्ड से अपीलांट का कल्टीवेटरी कब्जा नहीं माना है । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 13, 15 व 19 के तहत भी खातेदारी अधिकार नहीं मांगे गये हैं । अतः न तो बन्दोबस्त से पूर्व और न ही बाद में वादी/अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त था और न ही रेकार्ड में उनका अंकन है । अतः वादी/अपीलांट का खातेदारी प्राप्त करने का कोई हक नहीं बनना पाया जाता है । तहत न्यायालय ने विवेचनयुक्त निर्णय पारित किया है जो सही है और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 यथवत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

20/7/18

(कमल राम मीमा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर